(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध)

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

प्रान्तीय कार्यालयः 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, भोपाल-४६२००३

दूरभाषः (0755) 2761225, ई-मेलः*vidyabhartibpl@gmail.com*

www.vidyabhartimp.org

पंजीयन क्र.-17195

परिपत्र क्रमांक :01/2020 **दिनांक-13/06/2020**

प्रति,

श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य महोदय,
समस्त सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर,
मध्यभारत प्रान्त।

प्रिय बन्धुवर/भगिनी

सादर नमस्कार।

प्रभु कृपा से आप स्वस्थ, सकुशल होंगे। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की अचानक आ गई समस्या से व्यापक लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप समाजिक दूरी अपनाने को बाध्य कर दिया है। इन परिस्थितियों में शैक्षिक संस्थानों का प्रत्यक्ष संचालन करना संभव नही हो पा रहा है क्योंकि उसके लिए छात्रों-आचार्यों तथा अन्य कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण आवश्यक होता है। इस चुनौती का सामना नवीन तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन वेब आधारित वीडियों कॉन्फेंसिंग के उपकरणों का प्रयोग करके आचार्यों तथा विद्यार्थियों के मध्य वार्तालाप द्वारा किया जा सकता है। यह सत्य है कि तकनीक के प्रयोग से शिक्षक की महत्ता न तो कम हो सकती है, न उनका स्थान तकनीक ले सकती है। किन्तु समय की आवश्यकता को पहचानते हुए हमें तकनीक को अपना सहयोगी बनाना होगा। हमारे शिक्षक और उनकी शिक्षण पद्धति कालबाह्य न हो जायें, वे हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा की इस नई रूपान्तरित व्यवस्था को स्वीकार तथा स्वयं आगे बढ़ कर उपयोग करने की मानसिकता के साथ हमें शिक्षकों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अंतःकरणपूर्वक प्रयास करने होंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं को नवीन शैक्षिक सत्र की हार्दिक शुभकामनाएँ। परिपत्र के माध्यम से प्रान्त द्वारा सम्भावित समाधान बिन्दु आपकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

कोरोना उपरांत परिस्थिति शैक्षिक चुनौतियाँ : सम्भावित समाधान

(1) **परिस्थितियाँ पुनः यथापूर्व सामान्य होने में लम्बा समय-** लॉक-डाउन, महामारी का भय और असुरक्षा की भावना के कारण शैक्षिक संस्थाओं को पूर्ववत् स्थिति में आने के लिए लम्बा समय लगेगा। यदि विद्यालय प्रारम्भ भी हो गए तो भी शत प्रतिशत उपस्थिति आने में समय लगेगा। इसके समाधान के लिए वार्षिक पंचांग को संशोधित कर शैक्षणिक कार्यों तथा अन्य गतिविधियों की नए सिरे से योजना करनी होगी।

(2) **पाठ्यक्रम में परिवर्तन-** वार्षिक पाठ्यक्रम में कटौती कर उसे 100-120 दिनों के कार्य दिवसों में समायोजित करते हुए उसके मूलभूत और आवश्यक अंशों को इस सत्र के लिए तय करना होगा। पूरे पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत अच्छा समाधान होगा।

(3) **40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑन-लाईन कक्षाओं के माध्यम से-** अनिश्चितता की स्थिति में पाठ्यक्रम का 40 प्रतिशत ऑन-लाइन तथा वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर शेष को व्यवस्थित कक्षाओं में पूरा किया जा सकता है। असाइनमेंट्स (गृहकार्य), प्रायोगिक कार्य, स्वाध्याय प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना होगा।

(4) **60 प्रतिशत पाठ्यक्रम वास्तविक कक्षाओं में-** वांछित अधिगम परिणामों तथा आधारभूत अवधारणाओं पर केन्द्रित पाठ्यक्रम का 60 प्रतिशत भाग परिस्थितियाँ ठीक होने पर वास्तविक कक्षाओं में पूरा किया जा सकेगा।

(5) **कार्य-दिवसों की पुनर्गणना-** सत्र में हमें अधिकतम 50 प्रतिशत तक कार्य दिवस मिलेंगे। कुल 100 से 120 कार्य-दिवसों की अपेक्षा करते हुए पाठ्यक्रम, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का समायोजन करना होगा।

(6) **मूल्यांकन पद्धति का सरलीकरण-** परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धतियों को पुनर्परिभाषित, सरलीकृत तथा सीमित करना होगा। आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन के प्राप्तांकों को समान महत्त्व देना होगा।

(7) **विद्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं-** सम्पूर्ण अधिगम/शैक्षणिक प्रक्रिया को रोचक तथा आनंददायक बनाने के लिए विद्यालय सीमाओं के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास तथा जीवनमूल्य प्रस्थापना के लिए आवश्यक गतिविधियाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझानी चाहिए।

(8) **न्यूनतम गृह कार्य -** सत्र के शेष भाग, जब नियमित विद्यालय प्रारम्भ हो जाएँगे, तब भी शिक्षा को तनावमुक्त बनाए रखने के लिए गृह कार्य तथा असाइनमेंट्स की मात्रा कम रखनी होगी क्योंकि परिवार भी तनावग्रस्त होंगे।

(9) **दो-पाली विद्यालयों की आवश्यकता-** शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सरकारी निर्देशों तथा अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालयों को दो पाली में संचालित करना पड़ सकते हैं। वाहन तथा आचार्यों की व्यवस्था तदनुसार समायोजित करनी होगी। विविध कक्षाओं को वैकल्पिक दिनों पर बुलाना भी सुविधाजनक हो सकता है।

(10) **संवेदनशील क्षेत्रों को महत्त्व-** वनवासी, सीमावर्ती, समुद्रतटीय तथा सुदूरस्थ आदि अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में चलने वाले विद्यालयों की संरचना महामारी के बाद के दिनों में प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।

(11) **घरों में शिक्षण (Home Schooling) की वृद्धि-** आगामी सत्र में विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में नियमित विद्यालयों में आने की सहमति अनेक अभिभावक नहीं देंगे। अतः घरों में स्थानीय व्यवस्था के अनुसार पढ़ाई कराने की व्यवस्था बढ़ सकती है।

(12) **मुक्त विद्यालयों को प्रोत्साहन-** विभिन्न संदेहों-शंकाओं के कारण नगरीय क्षेत्रों के अभिभावक मुक्त विद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को बेहतर मान सकते हैं। इससे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन को बल मिलेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन पर रोक के कारण उच्च शिक्षा के लिए भी मुक्त विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश संख्या बढ़ सकती है। ऐसी बड़ी संस्थाओं -इग्नु आदि जैसे मुक्त विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सम्भालने के लिए तैयार रहना होगा।

(13) **छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के लिए चुनौती-** सामूहिक आवासीय व्यवस्थाओं में संक्रमण की आशंका के कारण अभिभावक आगामी कुछ समय तक अपने बच्चों को छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/कार्यरत महिला पुरुष वसतिगृहों तथा अन्य ऐसे आवासीय केन्द्रों से दूर रखेंगे। इससे गुरुकुल पद्धति से चल रहे विद्यालय प्रभावित होंगे।

(14) **शैक्षिक संस्थाओं का दुबारा खुलना -** ऊपर से नीचे की ओर शैक्षिक संस्थाओं को पुनः प्रारम्भ करने के लिए इस पद्धति को अपनाना ठीक होगा। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, और चरणबद्ध रूप में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय इस क्रम को अपनाना उचित होगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए दैनिक विद्यालय के बजाय छोटे समूहों में प्रति सप्ताहान्त में कक्षाएँ रखने पर भी विचार किया जा सकता है।

(15) **योग तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनायें -** सरकार को योग एवं नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा को देशभर में सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए।

(16) **स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आपदा प्रबन्धन-** आपदा तथा चुनौतियों के समय उनका सामना करने में सक्षम बनाने के लिए महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य रक्षण और आपदा प्रबंधन का अनिवार्य प्रशिक्षण देना चाहिए।

(17) **शिक्षकों का गुणवत्ता विकास-** अगली पीढ़ी की शिक्षा सम्बन्धी चुनौतियों के लिए अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। उन्हें तकनीक का प्रयोग कर ऑन-लाइन शिक्षण करने की क्षमता अर्जित करनी होगी।

E:\Patil July18-19 \Paripatra

(18) **अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग-** आगामी सत्र में भय और असुरक्षा की मनोस्थिति से उबरने के लिए थर्मल स्कैनिंग तथा समान प्रकार के अन्य सुरक्षा साधनों और उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी।

(19) **कम शिक्षा-अधिक जानकारी-** अगले सत्र में हमारा उद्देश्य अपनी परम्परागत शिक्षण पद्धति से हटकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों को अधिक जानकारियाँ देने का रखना पड़ेगा।

(20) **शिक्षकों को विषयवस्तु के रचनाकार होने का प्रशिक्षण-** ई-शिक्षण तथा ऑन-लाइन शिक्षण गतिविधियों के संचालन करने की प्रक्रिया में कहीं हम ई-पाठ्यसामग्री के बाजार के जाल में न फँस जाएँ। हमारे शिक्षकों को इसलिए विभिन्न निःशुल्क माध्यमों से पाठ्यसामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण लेकर तथा स्वयं में समीक्षात्मक विचार, संवाद, सहयोग तथा रचनात्मक क्षमता अर्जित कर स्वयं ही अपने पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कौशल विकसित करना चाहिए।

(21) **शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करें-** आगामी छह माह में सरकार तथा शैक्षिक संगठनों को एक बड़ी संख्या में शिक्षक-प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यक्ति तैयार करने होंगे जिन्हें ई-अध्यापन के लिए वातावरण निर्माण का विशिष्ट कार्य ही सौंपा जाए जो कि भविष्य की आवश्यकता है।

(22) **विद्यालयों द्वारा दूरभाष सम्पर्क-** ऑन-लाइन कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ विद्यालयों द्वारा नियमित रूप से अभिभावकों से सम्पर्क बनाए रखना चाहिए ताकि अभिभावकों को सम्बन्धित शिक्षकों से अधिगम, पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों के सम्बन्ध में स्पष्टता प्राप्त होती रहे।

(23) **अभिभावकों का परामर्शन-** अभिभावकों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रश्नों को सुनने के बाद प्रतीत होता है कि सामूहिक तथा व्यक्तिशः अभिभावकों को परामर्श देना आवश्यक है। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम अभिभावकों के परामर्शन एवं मार्गदर्शन के प्रभावी साधन सिद्ध हो सकते हैं।

(24) **सरकार द्वारा आत्मविश्वास दृढ़ीकरण के उपाय-** यह देशव्यापी समस्या है, अतः सरकार को अभिभावकों के आत्म विश्वास तथा सकारात्मक रवैये के दृढ़ीकरण के कार्यक्रम चलाने चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आर्थिक क्षेत्र के लिए रणनीति बनाई जाती है। शिक्षा क्षेत्र के लिए भी नियोजन, संगठन, प्रशासन तथा प्रबंधन की नीति बनाई जानी आवश्यक होगी, ताकि समाज की मनोदशा ठीक रहे।

(25) **समाज जागरण तथा प्रबोधन-** इसके लिए सभी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को देशभर में आगे आकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सामान्य दिशादर्शी सिद्धांत तय कर प्रत्येक संगठन को अपनी विशिष्ट उत्तरदायी भूमिका स्वीकार करनी होगी। समस्त गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों, मठों-पीठों तथा सामाजिक व सांस्कृतिक केन्द्रों को कुछ विद्यालयों तथा ग्रामों को चिह्नित कर, उन्हें गोद लेकर वहाँ परामर्शन तथा आत्म विश्वास जागरण के कार्यक्रमों का नियमित संचालन करना चाहिए।

आशा है उपरोक्त विषय एवं आग्रह बिन्दुओं के आधार पर संस्था के कार्य को गति प्रदान करेंगे। इसी आशा व अपेक्षा के साथ समस्त बंधु/भगिनी को यथा योग्य नमस्कार।

(मोहनलाल गुप्ता)
प्रादेशिक सचिव

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष/संगठन मंत्री/सहसंगठन मंत्री मध्यभारत प्रान्त।
2. श्रीमान प्रांत प्रमुख/ समस्त विभाग समन्वयक मध्यभारत प्रांत।